

प्रेषक,

जी0 के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, शाहजहांपुर, बस्ती, हरदोई,
देवरिया, संतकबीरनगर, सीतापुर, खीरी, मैनपुरी एवं कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 20 अक्टूबर, 2008

विषय-वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में दैवी आपदा राहत कार्यों, कृषि निवेश अनुदान एवं गृह अनुदान हेतु जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार कुल रु0 62,41,80,000/- (रुपये बासठ करोड़ इक्तालिस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पत्र संख्या एवं दिनांक	मद	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	गोरखपुर	285 / आपदा-2008 दिनांक 14.10.08	गृह अनुदान	205.50
2.	बाराबंकी	194 / आपदा राहत-धनावंटन-08-09 दिनांक 12.10.2008	गृह अनुदान राहत सहायता	1061.24 171.70
3.	सुल्तानपुर	2397 / मु0रा0ले-आपदा / धनावंटन, दिनांक 7.10.08	राहत सहायता	250.00
4.	आजमगढ़	906 / आपदा, दिनांक 9.9.2008	राहत सहायता	50.00
5.	फैजाबाद	2387 / ओ एस डी / सी0 आर0ए0-13-राहत / 08-09, दि0 9.10.08	गृह अनुदान / कृषि निवेश अनुदान	100.00



6.	शाहजहाँपुर	3048 / सी0आर0ए0— आपदा दिनांक 28.09.2008	राहत सहायता	500.00
7.	बस्ती	261-2 / आपदा लिपिक / 2008-09 दिनांक 09.09.2008	राहत सहायता	300.00
8.	हरदोई	1254 / सी0आर0ए0— दै0आ0—आवंटन / 08 दिनांक 10.10.2008	राहत सहायता	50.00
9.	देवरिया	108 / आपदा-08 दिनांक 13.10.2008	कृषि निवेश अनुदान	133.25
10.	संतकबीर नगर	3001 / राहत लिपिक दिनांक 04.10.2008	राहत सहायता	100.00
11.	सीतापुर	तेरह-सी0एफ0-1 / दै0आ0 / आवंटन / 08-09, दिनांक 15.10.08	राहत सहायता	200.00
		तेरह-सी0एफ0-55 / दै0 आ0 / बाढ़ प0चि0 / 08-09 / राहत दिनांक 15.10.2008	कृषि निवेश, गृह अनुदान	310.86 1749.25
12.	खीरी	13 / बजट आवंटन— राहत कार्य / दै0आ0लि0 दिनांक 15.10.2008	राहत सहायता	1000.00
13.	मैनपुरी	757 / सी0आर0ए0— दै0आ0, दिनांक 6.10.08	राहत सहायता	30.00
14.	कुशीनगर	1015 / आपदा-2008, दिनांक 15.10.08	राहत सहायता	30.00
			कुल योग :	6241.80

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त फसल एवं मकान हेतु प्लाट टू प्लाट सर्वेक्षण अभी तक नहीं कराया गया है, उन जनपदों में प्लाट टू प्लाट सर्वेक्षण एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाय तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सर्वे रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्राप्त हो गयी है।

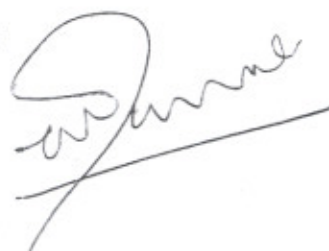


4. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-जी.आई.-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। यदि राहत वितरण हेतु आवंटित धनराशि कम पड़े तो शेष वांछित धनराशि कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरित कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रभावित व्यक्तियों को देय सहायता प्रत्येक दशा में विलम्बतम 03 दिन के अन्दर वितरित हो जाय। कोषागार नियम-27 से आहरित धनराशि के आदेश की प्रति, धनराशि के समायोजन, धनावंटन प्रस्ताव एवं आपदा राहत निधि से आवंटित तथा व्यय हुई धनराशि की सूचना सहित शासन को 10 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। अग्रेतर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत धनराशि का आहरण एवं वितरण केवल दैवी आपदाओं जैसे-अग्निकाण्ड, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली, बाढ़, सूखा, हिमस्खलन, कीट आक्रमण के फलस्वरूप घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं- सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा-फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक: 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू० 2000/-तक की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रू० 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

7. राहत धनराशि का वितरण गांवों में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाए। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाए।



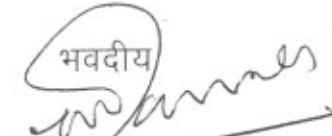
8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों को धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय-विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें दिनांक 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाए।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

12. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

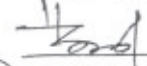
भवदीय

(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या-4878(1)/1-10-2008-12(71)/2008टी0सी0-2, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, लखनऊ, आगरा।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, गोरखपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, शाहजहांपुर, बस्ती, हरदोई, देवरिया, संतकबीरनगर, सीतापुर, खीरी, मैनपुरी एवं कुशीनगर।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग- 6/11/राहत बेवसाइट की उपयोग हेतु।
8. वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(शिशिर कुमार यादव)

उप सचिव।